पीएफसी - अधिग्रहण परामर्शी सेवा

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 30 सितंबर, 2012 की स्थिति के अनुसार 1,40,000 करोड़ रुपए से अधिक की परिसम्पत्ति आधार के साथ भारत के विद्युत क्षेत्र के विकास में एक अग्रणी वित्तीय निवेशक है। हमने 30 सितंबर, 2012 तक, भारतीय विद्युत क्षेत्र में 3,95,000 करोड़ रुपए से अधिक की संचयी स्वीकृतियां अनुमोदित की है (आर-एपीडीआरपी को छोड़कर), जिसके परिणामस्वरूप 16,8000 करोड़ रुपए से अधिक के बकाया आदेश प्राप्त हुए (आर-एपीडीआरपी को छोड़कर)। ऊर्जा क्षेत्र में भारत सरकार की महत्वपूर्ण पहलों यथा यूएमपीपी तथा आर-एपीडीआरपी को कार्यान्वित करने के लिए नोडल एजेंसी हैं । हमने हाल में नए उत्पादों तथा विद्युत परियोजनाओं की इक्विटी आवश्यकताओं के लिए आरंभ हुई परियोजनाओं के प्रभावी राजस्व को प्रतिभूत करने, उपस्कर विनिर्माताओं को ऋण का वित्त-पोषण करने, ईंधन उत्पादन तथा आपूर्तिकर्ता आदि को आरंभ करके, अनेक नईं पहल की हैं । हमने इन क्षेत्रों में नए व्यापार को बढ़ावा देने के लिए पृथक व्यापार यूनिटों का सृजन किया है । इन पहल को, विद्युत क्षेत्र में बदलते परिवेश के आधार पर आरंभ किया गया है ।

हमारा विश्वास है कि मांग-आपूर्ति में भारी अंतर होने के कारण, भारतीय व्यापार क्षेत्र के तेजी से विकास करने की संभावना है । संस्थागत तथा विनियामक तंत्र ने विद्युत क्षेत्र की व्यवहार्यता में सुधार किया है । न केवल मौजूदा कंपनियों ने निवेश योजनाएं तैयार की हैं, बल्कि नई कपनियां भी इस क्षेत्र में कदम रख रही हैं । नई कपनियां, नई परियोजनाओं की स्थापना कर सकती हैं अथवा कार्यान्वयनाधीन/तैयार परियोजनाओं का अर्जन कर सकती है ।

हमें विश्वास है कि आगे चलकर, सरकार की संदर्शी योजनाओं के अनुसार देश में विद्युत क्षेत्र के विकास के निजी क्षेत्र की कंपनियों की भागीदारी बढ़ेगी।

क्षमतावर्धन के संदर्भ में बारहवीं पचवर्षीय योजना में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़कर 63 प्रतिशत होने की संभावना है । इससे निजी क्षेत्र के साथ ही साथ सरकारी क्षेत्र की कंपनियों में भी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी । इसके अलावा, मांग और आपूर्ति में अंतर में वृद्धि की प्रवृति है तथा प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से निजी क्षेत्र और राज्य स्वामित्व वाली कंपनियों द्वारा विद्युत खरीदने हेतु आवश्यकता में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। विभिन्न क्षेत्रों में अकार्यक्षमता के कारण विद्युत की उच्च लागत से विद्युत उत्पादन के कारण विद्युत का उच्च प्रशुल्क होता है, जिसके परिणामस्वरूप, उपभोक्ताओं को अधिक विद्युत प्रभार वहन करना पड़ता है । विद्युत उत्पादन में कार्यकुशलता तथा मितव्ययता की काफी मांग है, जिससे प्रशुल्क की दरें कम रखी जा सके । साथ ही, मुक्त पहुँच तथा विद्युत व्यापार से भविष्य में प्रतिस्पर्धा के तेज होने की संभावना है ।

किसी भी उद्योग में अधिग्रहण तथा विलय अपरिहार्य है। वे किसी भी व्यापार के लिए उच्च विकास प्राप्त करने तथा कार्यकरण में मितव्ययता लाने के लिए अनिवार्य है। उपर्युक्त स्थिति से विद्युत क्षेत्र में भी समेकन होने की संभावना है और इसलिए एक समान सहक्रिया तथा मितव्ययता लाने के लिए अधिग्रहण एवं विलय हेतु उपयुक्त परियोजनाओं/साझेदारों की पहचान करने में सहायता तथा परामर्श की आवश्यकता होती है। हाल ही में हमने पीएफसी में इस क्षेत्र हेतु अधिग्रहण परामर्श सेवा यूनिट की स्थापना हेतु पहल की है। इस यूनिट के माध्यम से पीएफसी द्वारा पेशकश की जानेवाली सेवाओं के विस्तृत क्षेत्राधिकार में निम्नलिखित शामिल होंगे :-

- अधिग्रहण/विलय हेतु लक्षित परियोजना/कंपनी की पहचान ।
- परियोजनाओं पर प्रारंभिक सम्यक तत्परता ।
- परियोजनाओं का विस्तृत तकनीकी-वाणिज्यिक मूल्यांकन ।
- अधिग्रहण एवं विलय हेतु भागीदारों का पता लगाना, आदि ।

भावी विक्रता/क्रेता विद्युत परियोजनाओं का मूल्यांकन करने व उसके वित्त पोषण में पीएफसी की मुख्य सक्षमता का लाभ उठा सकते हैं तथा विद्युत परियोजनाओं के अधिग्रहण के उनके प्रयत्नों में मूल्यवर्धित परामर्श पा सकते हैं। पीएफसी देशभर में ऐसी विद्युत परियोजनाओं के अधिग्रहण/विलय के लिए सहायता प्रदान करने हेतु इच्छुक है, जिनका निर्माण कार्य या तो पूर्ण हो चुका है अथवा कार्यान्वयनाधीन चरण में है परन्तु निधियों की कमी अथवा किसी अन्य किसी बाधा के कारण बीच में लटक गया है ।

संपर्क सूत्र :-

श्री वी0के0 शाह, कार्यपालक निदेशक (एएएसयू),
मोबाइल- 91-98685549034, कार्यालय - 011-23456601,
ईमेल - vk_shah@pfcindia.com

श्री रवि तुलस्यान, उप महाप्रबंधक(एएएसयू), मोबाइल- 91-9958011189,
कार्यालय - 011-23456219
ईमेल - r_tulshyan@pfcindia.com